प्रतिज्ञा कैम्पेन ने मनाया 'इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेंस अगेन्स्ट वीमन'

गर्भपात के बारे में चुप्पी तोड़ने के लिए एकजुट आवाज

मुंबई, 22 नवंबर, 2019: 'महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा (VAWG) हमारी दुनिया में सबसे व्यापक, और विनाशकारी मानवाधिकारों के उल्लंघन में से एक है, जिसकी जानकारी आज भी इससे जुड़ी माफी, चुप्पी, कलंक और शर्म के कारण नहीं दी जाती है।' – द यूनाइटेड नेशन्स

हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि इसके गहरे मनोसमाजिक प्रभाव भी होते हैं, और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के इनकार को लेकर व्याप्त चुप्पी, हिंसा का एक ऐसा रूप है जिसके बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं से इनकार करना महिलाओं के जीवन और करियर विकल्पों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गर्भपात स्वास्थ्य सेवा है और इसे सर्वव्यापी स्वास्थ्य कवरेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

प्रतिज्ञा कैम्पेन फ़ॉर जेंडर ईक्वैलिटी एंड सेफ़ एबॉर्शन गर्भपात और उससे संबंधित कलंक और चुप्पी को संबोधित करने के लिए काम कर रहा है। हाल के महीनों में इस अभियान ने एक अध्ययन किया जिसमें पाया गया कि मेडिकल एबॉर्शन (MA) यानी गर्भपात दवाईयां, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्राथमिकता हैं, केमिस्ट्स की दुकानों से तेजी से गायब हो रही हैं। मेडिकल एबॉर्शन/ गर्भपात दवाईयां भारत में गर्भपात देखभाल का पसंदीदा तरीका है, हर साल होने वाले 15.6 मिलियन एबॉर्शन में से अनुमानित 81 प्रतिशत एबॉर्शन इन गर्भपात दवाओं का इस्तेमाल कर किये जाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि इन दवाओं की गैर-उपलब्धता सुरक्षित गर्भपात तक महिलाओं की पहुंच को खतरे में डाल रही है, खासकर ऐसी परिस्थिति में जहां आज भी भारत में असुरक्षित गर्भपात के कारण अनुमानित हर दिन 10 महिलाओं की मौत हो जाती है, जोकि भारत में मातृत्व मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है।

यह अभियान, जो भारत में महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच के लिए काम करता है, ने भारत में सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच में न्यायपालिका की भूमिका का आकलन करते हुए एक रिपोर्ट भी आयोग को सौंपी थी। निष्कर्ष बताते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, 194 महिलाओं ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में याचिका दायर की है, ताकि उन्हें उनकी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मिल सके। सभी उच्च न्यायालयों में से, बॉम्बे हाईकोर्ट में सबसे अधिक संख्या में याचिकायें दायर की गईं और 88 महिलाओं ने कोर्ट में अपील की। यह चिंताजनक रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षित गर्भपात की तलाश के लिए उच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने की संख्या को दिखाती है। यह संख्या बताती है कि उच्च न्यायालय को महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के पक्ष में स्पष्ट दिशानिर्देश देने और एक्ट को स्पष्ट करने के कई अवसर मिले लेकिन हकीकत में, ऐसा कुछ नहीं हुआ।

विशेष रूप से महाराष्ट्र, जैसा कि अध्ययनों द्वारा बताया गया है, गर्भपात की मांग करने वाली महिलाओं को जेंडर जस्टिस प्रदान करने में सक्षम नहीं रहा है। दवा नियंत्रकों द्वारा गलत धारणाओं और अधिक नियमन के कारण, गर्भपात की गोलियाँ बाजार से गायब हो रही हैं और लंबी न्यायिक प्रक्रिया और जागरूकता की कमी के साथ, 20 सप्ताह से कम गर्भ की महिलाएं अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं। यह राज्य में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों तक पहुंच में सुधार करने में अच्छा प्रतीत नहीं होता है।

प्रतिज्ञा कैम्पेन फ़ॉर जेंडर ईक्वैलिटी एंड सेफ़ एबॉर्शन ने इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेंस अगेन्स्ट वीमन मनाते हुए, फ़ैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, मुंबई में एक मीडिया राउंडटेबल चर्चा की मेजबानी की। इस चर्चा में शामिल सदस्यों में श्री आनंद पवार, प्रतिज्ञा पार्टनर और संस्थापक – सम्यक एनजीओ, अधिवक्ता अनुभा रस्तोगी, प्रतिज्ञा कैम्पेन एडवायज़री ग्रुप मेंबर एवं इंडिपेंडेंट लॉयर; डॉ. कल्पना आप्टे, प्रतिज्ञा कैम्पेन एडवायज़री ग्रुप मेंबर और सेक्रेटरी जनरल, फ़ैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया और श्री वी एस चंद्रशेखर, प्रतिज्ञा कैम्पेन एडवायज़री ग्रुप मेंबर और सीईओ, फ़ाउंडेशन फ़ॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज़ इंडिया थे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें सुरक्षित गर्भपात की पहुंच से वंचित करने जैसी बाधाओं पर ध्यान दिया गया।

रिपोर्ट के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए **प्रतिज्ञा कैम्पेन के सलाहकार समूह की सदस्य एवं भारतीय परिवार नियोजन समिति की महासचिव डॉ. कल्पना आप्टे** ने कहा, *''*यह अध्ययन गर्भपात और एमए दवाओं के बारे में केमिस्टों की जागरूकता, ज्ञान और सोच को परखने के लिये हुआ था। महाराष्ट्र के *42* प्रतिशत लोगों का मानना है कि कॉम्बी पैक एमए दवाओं की उपलब्धता लैंगिक पक्षपात वाले लिंग के चयन में योगदान देती है। यह एक गलत धारणा है, क्योंकि कॉम्बीपैक्स केवल नौ सप्ताह की गर्भावस्था के लिये हैं और भ्रूण का लिंग जानने के लिये आमतौर पर उपयोगी और वहन करने योग्य प्रौद्योगिकी अल्ट्रा सोनोग्राफी है, जो *13-14* सप्ताह की गर्भावस्था में लिंग को जान सकती है। इस गलतफहमी के कारण एमए दवाओं का जरूरत से ज्यादा विनियमन हुआ है और गर्भावस्था को खुद समाप्त करने की सुरक्षित, सरल और वहन करने योग्य विधि की उपलब्धता प्रभावित हुई है तथा भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, तंदुरूस्ती और प्रजनन सम्बंधी अधिकारों से समझौता किया जा रहा है।''

आज के जमाने में, महिलाओं के लिए गर्भपात पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। प्रतिज्ञा कैम्पेन का उद्देश्य गर्भपात को कलंक समझने की धारणा को नष्ट करना है। कानूनी और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच को मजबूत और सरल बनाने की भी जरूरत है, जिसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में व्यापक और स्पष्ट संशोधनों की आवश्यकता है।

एफआरएचएस इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रतिज्ञा कैम्पेन फॉर जेन्डर इक्वालिटी एंड सेफ अबॉर्शन के सीएजी सदस्य वी.एस. चंद्रशेखर ने कहा, *''*एक आदर्श संसार में विवाहित या अविवाहित, प्रत्येक महिला को गर्भपात का अधिकार होना चाहिये। उसके पास किसी अच्छी सुविधा में यह करने का समान अधिकार होना चाहिये। दुर्भाग्य से भारत में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की पहुँच निशुल्क और कम लागत वाली, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक नहीं है। बेहतर पृष्ठभूमि वाली अविवाहित महिलाओं के लिये भी ऐसी गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं तक पहुँच नहीं है, जहाँ उन्हें अनुमान से मुक्त सेवाएं मिलें। यदि पहुँच की बात करें, तो यह एक बड़ी समस्या है, जिसका कारण एमटीपी अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेन्सी एक्ट, *1971)* द्वारा यह परिभाषित करने का तरीका है कि वैध और सुरक्षित गर्भपात सेवा कौन प्रदान कर सकता है और इसका स्थान कैसा हो। जब किसी महिला को गर्भपात करवाना होता है, तो सेवा प्रदाता अक्सर सही और गलत पर खुद की राय से चलते हैं। कानून गर्भनिरोध की विफलता के कारण गर्भपात चाहने वाली महिलाओं का अनुमति देता है, लेकिन यदि कोई अविवाहित महिला यह चाहे, तो उसे गर्भपात का कानूनी विकल्प नहीं दिया जाता है। यह कानून की बड़ी त्रुटि है।''

प्रतिज्ञा कैंपेन फॉर जेंडर इक्वैलिटी एंड सेफ एबॉर्शन के विषय में: प्रतिज्ञा कैंपेन फॉर जेंडर इक्वैलिटी एंड सेफ एबॉर्शन भारत में महिला अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने तथा सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों का एक नेटवर्क है। यह अभियान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों, संगठनों और मीडिया के साथ मिलकर महिलाओं के सशक्तीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच के मुद्दों का समर्थन करता है। फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया सचिवालय का संचालन करता है और एक समर्पित आठ-सदस्यीय कैंपेन एडवायजरी ग्रुप गठबंधन और इसके सहयोगी प्रयासों के बारे में रणनीतिक दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अभियान चार विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: क) गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को सहारा और सहयोग प्रदान करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे निरंतर गर्भपात सेवाएं देते रहें। ख) बाजारों में गर्भपात दवाओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना और सुविधा से परे, मेडिकल एबॉर्शन (गर्भपात) का उपयोग करने वाली महिलाओं को सहारा देना। ग) कानूनी परिदृश्य को समझना एवं उसके साथ जुड़ाव बनाना, खासतौर से एबॉर्शन संबंधित मामलों में। घ) अभियान के सामूहिक स्वर को तीव्रता देने के लिए संगठनों और व्यक्तियों के साथ मजबूत गठजोड़ बनाना। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: www.pratigyacampaign.org